

03-11-2017

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 ।

आरोपी अनुपस्थित ।

प्रकरण आरोपी रामकांता बाई की उप0 हेतु नियत है ।

आरोपी रामकांता बाई पति समद लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी समनापुर थाना ग्रामीण (नवेगांव) जिला बालाघाट को जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तारी वारंट मय फरारी पंचनामा के साथ फरारी साक्ष्य हेतु आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव जिला बालाघाट से सहा0 उपनिरीक्षक अशोक डहाके उपस्थित ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि प्रकरण दिनांक 14.07.17 को अनुपस्थित था उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये इस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त कर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था । आरोपी अनुपस्थित है । आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है । आरोपी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट सहा0 उपनिरीक्षक अशोक डहाके आरोपी के फरार होने के पंचनामा सहित अदम तामील लेकर उपस्थित हुये ।

उपस्थित साक्षी सहा0 उपनिरीक्षक अशोक डहाके की फरारी साक्ष्य लेखबद्ध की गई । फरारी पंचनामा को क्रमशः आर्टिकल -ए अंकित किया गया । साक्षी को साक्ष्य उपरांत उन्मुक्त किया गया । फरारी साक्ष्य एवं गिरफ्तारी वारंट व फरारी पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी रामकांता बाई दर्शित पते पर निवासरत नहीं है, न ही उसका कोई स्थाई व निश्चित पता अभियोजन को ज्ञात है । अतः आरोपी रामकांता बाई पति समद लोधी उम्र 29 वर्ष निवासी समनापुर थाना ग्रामीण (नवेगांव) जिला बालाघाट को स्थाई रूप से फरार घोषित किया जाता है । आरोपी के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे ।

प्रकरण में आरोपी फरार है, प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे ।

सही / -

(आसिफ अब्दुल्लाह)

न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी

बालाघाट